

8<sup>1</sup>/<sub>26</sub>

9<sup>1</sup>/<sub>26</sub>

पत्रावली पेप है वकील पत्रकार उप-ई उपखण्ड में जवाब सरकाट प्राप्त है चुका है जो शामिल मिल है। मिसल वाले सङ्ग्रहादी में दिनांक 12-1-26 को फाँटा ✓

12<sup>1</sup>/<sub>26</sub>

पत्रावली पेप है वकील पत्रकार उप-ई उपखण्ड से वादी अधीष का शपथ पत्र पूर्व में शामिल मिल है। मिसल वाले वदसमे दिनांक 19/1/26 को पेप है ✍

19<sup>1</sup>/<sub>26</sub>

पत्रावली पेप है वकील पत्रकार उप-ई पत्रावली पर बहल सुनी गई। पत्रावली के आद्योपान्त अवलोकन अध्याय नमन उपरान्त एम इस लिख्य पर हुंचे है कि वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादीगण द्वारा पुरत काद स्वीकार किये जात है। विस्तृत विधि पुत्र ले लिखाया जात शामिल मिलल किया गया। पत्रावली फैसल चुगाट टैकट नाबल से कम की जाकर हाखिल दफतर हो।

विधि आज दिनांक 19/1/26 को स्वेइपलाव

सुनाया गया ✍

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

मि०नं०  
137 / 2025

तारीख दायरा  
01.09.2025

तारीख फैसला  
19/1/26

पीठासीन अधिकारी— दीपक महावर (आर.ए.एस.)

## उनवान

- 1—आशीष आत्मज रामविलास
- 2—देवेन्द्र आत्मज रामविलास
- 3—पूजा पुत्री रामविलास
- 4—रेखा बाई पत्नी स्व० रामविलास
- 5—प्रभुलाल आत्मज रामप्रसाद
- 6—सुरेश आत्मज रामप्रसाद
- 7—सरिता पुत्री रामप्रसाद
- 8—चन्द्रकला पत्नी स्व० रामप्रसाद
- 9—सम्पत बाई पुत्री छीतरलाल जाति मीना निवासीगण ग्राम उदपुरिया तहसील दीगोद जिला कोटा (वादी)

## बनाम

- 1— राज०सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज०

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से — श्री बलराम शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धार्य 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरुस्ती

## —:: निर्णय ::—

- वादीया ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-
- 1— 1. यह कि खातेदार छीतरलाल आत्मज मोडूलाल जी मीना निवासी उदपुरिया के निम्न खातों में भूमिया दर्ज चली आ रही थी—  
खाता सं०73 खसरा नम्बर 1245 की 0-34 हेक्टर, खाता सं० 74 खसरा नम्बर 1244 की 2-62 हेक्टर, खाता सं० 79 खसरा नम्बर 1290/557 की 0-08 हेक्टर, खसरा नम्बर 551 की 1-15 हेक्टर, खसरा नम्बर 552 की 0-56 हेक्टर
  - 2— यह कि खातेदार छीतरलाल आत्मज मोडूलाल जी मीना निवासी उदपुरिया का देहावासन दिनांक 20-8-2017 हो गया।
  - 3— यह कि खातेदार छीतरलाल जी का फोती इन्तकाल खोलने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अन्य वारिसान के साथ वादीगण का नाम निम्न प्रकार अंकित किया गया—

- 1—आशीष आत्मज रामविलास
- 2—देवेन्द्र आत्मज रामविलास
- 3—पूजा पुत्री रामविलास

- 4-रेखा बाई पत्नी स्व० रामविलास
- 5- प्रभुलाल आत्मज रामप्रसाद
- 6- सुरेश आत्मज रामप्रसाद
- 7-सरिता पुत्री रामप्रसाद
- 8-चन्द्रकला पत्नी स्व० रामप्रसाद
- 9- सम्पत बाई पुत्री छीतरलाल

4- यह कि छीतरलाल जी का इंतकाल तस्दीक करने के पश्चात् प्रतिवादी के कर्मचारियों में वादीगण का नाम उक्त प्रकार से अंकित न कर वादी नं० 1 ता 4 के पिता व पति का नाम रामविलास के स्थान पर राम प्रसाद व वादी नं० 5 ता 8 के पिता व पति का नाम रामप्रसाद के स्थान पर रामविलास तथा वादी नं० 9 का नाम सम्पत बाई के स्थान पर सम्पति बाई दर्ज कर दिया। यानी निम्न प्रकार नाम अंकित किया है जो गलत है।

- 1- आशीष आत्मज रामप्रसाद
- 2-देवेन्द्र आत्मज रामप्रसाद
- 3-पूजा पुत्री रामप्रसाद
- 4- रेखा बाई पत्नी स्व० रामप्रसाद
- 5-प्रभुलाल आत्मज रामविलास
- 6-सुरेश आत्मज रामविलास
- 7-सरिता पुत्री रामविलास
- 8-चन्द्रकला पत्नी स्व० रामविलास
- 9-सम्पति बाई पुत्री छीतरलाल

5- यह कि वादीगण का वास्तविक नाम मद नम्बर 4 में अंकित है इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी नं० 1 ता 4 के पिता व पति का नाम रामप्रसाद के स्थान पर राम विलास तथा वादी नं० 5 ता 8 के पिता व पति का नाम रामविलास के स्थान पर रामप्रसाद तथा वादी नं० 9 का नाम सम्पति बाई के स्थान पर सम्पत बाई दर्ज किया जाना आवश्यक है।

6-यह कि इस सम्बन्ध में वादीगण ने प्रतिवादी से दिनांक 2-6-2025 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया तथा अदालत से आदेश लाने के कहा। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

7-यह कि वाद कारण प्रतिवादी के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा छीतरलालजी का फोट इंतकाल तस्दीक करते समय वादीगण नं० 1 ता 8 के पिता व पति का नाम ग लत दर्ज करने पर व वादी नं० 9 का नाम गजत दर्ज करने पर तथा दिनांक दिनांक 2-6-2025 को प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण नं० 1 ता 8 के पिता व पति का नाम व वादी नं० 9 का नाम दुरुस्त करने से इन्कार कर दिया।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे-

कि ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 1245 की 0-34 हेक्टर भूमि, खसरा नम्बर 1244 की 2-62 हेक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 1290/557 की 0-08 हेक्टर, खसरा नम्बर 551 की 1-15 हेक्टर, खसरा नम्बर 552 की 0-56 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी नं 1 ता 3 के पिता का नाम रामप्रसाद के स्थान पर रामविलास, वादी नं 4 के पति का नाम रामप्रसाद के स्थान पर रामविलास तथा वादी नं 5 ता 7 के पिता का नाम रामविलास के स्थान पर रामप्रसाद व वादी नं 8 के पति का नाम रामप्रसाद के स्थान पर रामविलास तथा वादी नं 9 का नाम सम्पति बाई के स्थान पर सम्पत बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2-कि प्रतिवादी के आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावे।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये हैं:-

1. नकल जमाबन्दी सवन्त 2075-2078 ग्राम चन्द्रावला खाता संनया 73,74,79
2. नामान्तरण सख्या 60 वाके ग्राम चन्द्रावला

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य PW1 में वादी आशीष द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पूर्व में शामिल मिसल है। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कार्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 1245 की 0-34 हेक्टर भूमि, खसरा नम्बर 1244 की 2-62 हेक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 1290/557 की 0-08 हेक्टर, खसरा नम्बर 551 की 1-15 हेक्टर, खसरा नम्बर 552 की 0-56 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी नं 1 ता 3 के पिता का नाम रामप्रसाद के स्थान पर रामविलास, वादी नं 4 के पति का नाम रामप्रसाद के स्थान पर रामविलास तथा वादी नं 5 ता 7 के पिता का नाम रामविलास के स्थान पर रामप्रसाद व वादी नं 8 के पति का नाम रामप्रसाद के स्थान पर रामविलास तथा वादी नं 9 का नाम सम्पति बाई के स्थान पर सम्पत बाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/01/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी- दीपक महावर (आर.ए.एस.)  
उनवान

- 1-आशीष आत्मज रामविलास
- 2-देवेन्द्र आत्मज रामविलास
- 3-पूजा पुत्री रामविलास
- 4-रेखा बाई पत्नी स्व० रामविलास
- 5-प्रभुलाल आत्मज रामप्रसाद
- 6-सुरेश आत्मज रामप्रसाद
- 7-सरिता पुत्री रामप्रसाद
- 8-चन्द्रकला पत्नी स्व० रामप्रसाद
- 9-सम्पत बाई पुत्री छीतरलाल जाति मीना निवासीगण ग्राम उदपुरिया तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

- 1- राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से - श्री बलराम शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरुस्ती

मिसल नं 137 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 1245 की 0-34 हेक्टर भूमि, खसरा नम्बर 1244 की 2-62 हेक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 1290/557 की 0-08 हेक्टर, खसरा नम्बर 551 की 1-15 हेक्टर, खसरा नम्बर 552 की 0-56 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी न0 1 ता 3 के पिता का नाम रामप्रसाद के स्थान पर रामविलास, वादी न0 4 के पति का नाम रामप्रसाद के स्थान पर रामविलास तथा वादी नं0 5 ता 7 के पिता का नाम रामविलास के स्थान पर रामप्रसाद व वादी नं0 8 के पति का नाम रामप्रसाद के स्थान पर रामविलास तथा वादी नं0 9 का नाम सम्पति बाई के स्थान पर सम्पत बाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार डिक्री जारी हो।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 13/11/26को जारी किया गया।

मिलान स्टांम्प अर्जी दावा			स्टांम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टांम्प वकालतनामा	0	0	स्टांम्प अर्जी	0	0
स्टांम्प वजूह सबूत	0	0	स्टांम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुकमनामा	0	0	बबत इजराय हुकमनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
थमलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी  
दीगोद